"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2022 —— चैत्र 4, शक 1944

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 मार्च 2022

अधिसूचना

क्रमांक 1614/3134/सा./50.— राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–105 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 के नियम 83 के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बालकोष के संचालन हेतु दान की प्राप्ति के लिए मानदंडों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा निर्धारित करने, छत्तीसगढ़ बाल कोष के अंतर्गत निधि सृजित करने एवं उसके उपयोग हेतु प्रकिया निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार कियान्वयन दिशा निर्देश जारी करता हैः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–**
   1.1 इन दिशा निर्देशों का संक्षिप्त नाम'' छत्तीसगढ़ बालकोष क्रियान्वयन दिशा निर्देश, 2022'' है।
   1.2 यह दिशा निर्देश सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होंगे।
   1.3 यह दिशा निर्देश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएँ– इन दिशा निर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, –**
   2.1 ''अधिनियम'' से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 अभिप्रेत हैं।
   2.2 ''नियम'' से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 अभिप्रेत है।
   2.3 ''छत्तीसगढ़ बाल कोष'' से अधिनियम की धारा 105 के तहत सृजित छत्तीसगढ़ किशोर न्याय निधि अभिप्रेत है।
   2.4 उन सभी शब्दों और पदो के, जो इस दिशा निर्देश में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नही है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम एवं नियम में उनके हैं।
3. **उद्देश्य** – छत्तीसगढ़ बाल कोष के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे –
   3.1 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, में परिभाषित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सर्वोत्तम हित हेतु (उन गतिविधियों हेतु निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं में विहित नहीं है) निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
   3.2 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016, द्वारा बालकों के सर्वोत्तम हित हेतु निर्धारित देखभाल और सेवाओं के गुणवत्ता मानकों के संधारण बाबत आवंटित बजट की अपर्याप्तता की स्थिति में निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. **छत्तीसगढ़ बाल कोष का सृजन** – छत्तीसगढ़ बाल कोष के सृजन हेतु दान, अनुदान, अंशदान, आय के स्त्रोत निम्नानुसार होंगे :–
   4.1 किसी व्यक्ति या समूह या संस्था (जिसमें स्वयंसेवी संस्था, संगठन, गैर–सरकारी संस्था, ट्रस्ट आदि) या कॉर्पोरेट्स (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिया गया दान, अंशदान, अनुदान।
   4.2 उद्योगपतियों, प्रबुद्ध व्यक्तियों, सरकारी, गैर–सरकारी कार्मिकों एवं व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक दान, अंशदान, अनुदान।
   4.3 राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा छत्तीसगढ़ बाल कोष हेतु निधि का प्रदाय।

4.4 केन्द्र, राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों, राजकीय विभाग, प्राधिकरण, बैंकों द्वारा छत्तीसगढ़ बाल कोष हेतु राशि का आवंटन, अंशदान, अनुदान ।

4.5 छत्तीसगढ़ बाल कोष के खाते में बैंक द्वारा जमा किये गये ब्याज को आय की संज्ञा देते हुये उसे मूल निधि में जोड़ा जाएगा।

4.6 छत्तीसगढ़ बाल कोष में दिए गए दान हेतु दानदाता को आवश्यकतानुसार आयकर छूट हेतु प्रमाणपत्र, (आयकर या अन्य कानून जो लागू हो के अंतर्गत) निर्गत किया जा सकेगा।

4.7 छत्तीसगढ़ बाल कोष हेतु राशि, धन के संग्रहण हेतु राज्य बाल संरक्षण समिति भावी–दानकर्ताओं हेतु विभिन्न कार्यक्रम, बैठकों का आयोजन करेगी।

5. छत्तीसगढ़ बाल कोष में प्राप्त होने वाले निधि का उपयोग–

छत्तीसगढ़ बाल कोष का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा –

5.1 बाल देखरेख संस्थानों की स्थापना एवं संचालन।

5.2 बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चे के कल्याण के लिए अभिनव कार्यक्रमों को सहायता।

5.3 विधिक सहायता एवं समर्थन का सुदृढ़ीकरण।

5.4 उद्यमशीलता सहायता, कौशल विकास या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

5.5 बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत तथा 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर बाल देखरेख संस्था छोड़ कर जा रहे बच्चों को एक मुश्त जीवन निर्वहन सहायता प्रदान करना ।

5.6 ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने संस्थागत देखरेख में अठारह वर्ष की आयु पार कर ली है, जीवन की मुख्यधारा में पुनर्समेकन को समर्थन देने के लिए छोटे व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी और अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए देखरेख सुविधाएं और उद्यमशीलता निधि प्रदान करना।

5.7 पालन–पोषण देखरेख, प्रायोजन एवं पश्चातवर्ती देखरेख प्रदान करना ।

5.8 उग्रवादी समूहों एवं वयस्क समूहों से मुक्त कराये गये बच्चों सहित विषम परिस्थितियों में आवासरत बच्चों के पुर्नवास के लिए ।

5.9 बालक को विचारण और वापस भेजे जाने के लिए यात्रा के व्यय को वहन करना, पुलिस सहित मार्गरक्षकों के व्यय सहित।

5.10 बाल अनुकूल पुलिस थानों, बोर्डों, बाल/पॉक्सो न्यायालयों एवं समितियों का निर्माण करने में।

5.11 बच्चों की जरूरतों को समझने के लिए माता–पिता एवं देखरेखकर्ताओं के क्षमतावर्धन हेतु।

5.12 बाल अधिकारों एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम के आयोजन में।

5.13 बच्चों के विरूद्ध अपराधों को पहचानने एवं उनकी रिपोर्ट करने के लिए समुदाय आधारित बाल संरक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए ।

5.14 इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बच्चों के लिए विशेष व्यावसायिक सेवाएं, परामर्शदाता, अनुवादक, दुभाषिया, विशेष शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षक आदि उपलब्ध कराने हेतु ।

5.15 बाल देखरेख संस्थाओं में आवासरत बच्चों सहित इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बच्चों हेतु मनोरंजन सुविधाएं एवं उनके लिए पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाकलापों के लिए ।

5.16 कैंसर से पीड़ित बच्चों को कैंसर निवारक देखरेख एवं उनके माता–पिता को ठहरने की सुविधाओं हेतु।

5.17 बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत 18 वर्ष से अधिक आयु की पश्चातवर्ती देखरेख की पात्रता रखने वाले बालकों को छोटे व्यापार शुरू करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं/कायक्रमों अंतर्गत लाभान्वित करने हेतु

प्राथमिकता दी जायेगी, उक्त कार्यक्रमों में सहायता नहीं मिलने या पात्रता नहीं होने की दशा में छत्तीसगढ़ बाल कोष से सहायता प्रदान की जा सकेगी।

5.18 भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं/कायक्रमों से प्राप्त सहायता के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य होने वाले व्यय पर विचार किया जा सकेगा ।

5.19 पश्चातवर्ती देखरेख हेतु एकीकृत बाल संरक्षण योजना/मिशन वात्सल्य में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रूपये 3000 प्रति लाभार्थी प्रति माह दिए जायेंगे। कोष के तहत प्रदायित राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी।

5.20 गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के जाँच, उपचार व देखरेख एवं पुनर्वास के लिए तथा उनके माता–पिता/परिजन के परिवहन/भोजन/ठहरने की सुविधाओं हेतु जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रावधान किया जा सकेगा।

5.21 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधित) अधिनियम, 2019 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के प्रावधानों के तहत बच्चों के जाँच, उपचार व देखरेख एवं पुनर्वास के लिए तथा उनके माता–पिता/परिजन के परिवहन/भोजन/ठहरने की सुविधाओं हेतु जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रावधान किया जा सकेगा।

5.22 बाल देखरेख संस्थाओं मे प्रवेश व निर्गम के समय राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य जांच प्रपत्र अनुसार स्वास्थ्य जांच में आने वाले व्यय हेतु (ऐसे जाँच जो शासकीय अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में) उपयोग किया जा सकेगा।

5.23 उक्त के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ बाल कोष में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग कोविड–19 या अन्य महामारी/आपदा/अज्ञात कारणों से प्रभावित बालकों के संरक्षण/कल्याण एवं पुनर्वास के प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा।

5.24 सड़क या सड़क जैसी स्थितियों (Children in Street Situation) में निवासरत् ऐसे बालक जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के रूप में घोषित किया गया हो तथा वह बालक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संधारित बाल स्वराज पोर्टल में दर्ज हो के चिन्हांकन एवं पुनर्वास के प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा।

5.25 इस अधिनियम और इन नियमों में शामिल किए बच्चे के समग्र संवृद्धि, विकास और कल्याण को समर्थन देने के लिए कोई अन्य कार्यक्रम या कार्यकलाप।

5.26 राज्य बाल संरक्षण समिति बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान रखते हुये, तत्समय आवश्यकता अनुसार छत्तीसगढ़ बाल कोष का उपयोग करते हुये नवीन कार्यक्रम/गतिविधियां सृजित कर सकेगी।

6. राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य बाल संरक्षण सोसायटी बाल कोष के उपयोग का नियमन करने के लिए वित्तीय नियमों का अंगीकार करेगी।

7. छत्तीसगढ़ बाल कोष का संचालन –

7.1 छत्तीसगढ़ बाल कोष का संचालन एकीकृत बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग अर्थात महिला एवं बाल विकास विभाग, अंतर्गत स्थापित राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जाएगा ।

7.2 छत्तीसगढ़ बाल कोष के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति के वित्तीय नियमों के अनुसार राशि जमा, उपयोग एवं निकाले जाने की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

8. छत्तीसगढ़ बाल कोष अंतर्गत अनुदान जारी किए जाने की प्रक्रिया –

8.1 बालकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु आयोजित गतिविधि या कार्यक्रम का विस्तृत प्रस्ताव अनुमानित व्यय के साथ बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड की अनुशंसा तथा जिला कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण समिति के अनुमोदन सहित संचालक महिला एवं बाल विकास सह सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति को प्रेषित किया जाएगा।

8.2 उपरोक्तानुसार प्राप्त ऐसे सभी प्रस्तावों पर विचार किए जाने हेतु निम्नानुसार राज्य स्क्रीनिंग समिति गठित की जावेगी, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगाः–

1. संयुक्त संचालक (आईसीपीएस) संचालनालय, महिला एवं बाल विकास–अध्यक्ष
2. संयुक्त संचालक (वित्त) संचालनालय, महिला एवं बाल विकास – सदस्य
3. उप संचालक/ सहायक सचांलक (आईसीपीएस) संचालनालय, महिला एवं बाल विकास – सदस्य सचिव
4. कार्यक्रम प्रबंधक (बाल संरक्षण), एससीपीएस–सदस्य
5. जिला बाल संरक्षण अधिकारी–सदस्य (चक्रानुक्रम में)

8.3 राज्य स्क्रीनिंग समिति द्वारा एक माह की समय–सीमा के भीतर आवेदनों की स्क्रीनिंग कर संचालक, महिला एवं बाल विकास पदेन सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति को अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त अनुशंसित प्रस्ताव संचालक, महिला एवं बाल विकास पदेन सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग पदेन अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति को प्रेषित कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। उक्त प्रस्तावों पर राज्य बाल संरक्षण समिति से कार्येत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा/जाएगा ।

8.4 निम्नलिखित आकस्मिक परिस्थितियों में बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर जिला स्तर पर आईसीपीएस योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि में से रूपये 01 लाख तक की राशि जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा,, जारी की सकेगी। उक्त व्यय का कार्येत्तर अनुमोदन राज्य बाल संरक्षण समिति से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा–

अ. कैंसर व गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के उपचार व देखरेख।

ब. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधित) अधिनियम ,2019 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के प्रावधनों के तहत पीड़ित बच्चों को विशेष राहत।

स. दुर्घटना के उपचार व देखरेख एवं /प्राकृतिक आपदा।

द. बालकों के विशेष शिक्षण/प्रशिक्षण/स्पोर्ट्स प्रशिक्षण हेतु।

8.5 ऐसे प्रकरण जिसे बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आकस्मिक स्थिति मानते हुए वित्तीय सहायता हेतु अनुशंसा की जाये तथा जिला कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण समिति की अनुशंसा पर संचालक, महिला एवं बाल विकास पदेन सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा राशि रूपये 02 लाख तथा सचिव, महिला एवं बाल विकास; पदेन अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा 05 लाख तक की राशि जारी की जा सकेगी, जिस पर राज्य बाल संरक्षण समिति से कार्येत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

8.6 ऐसे प्रकरण जिसे संचालक, महिला एवं बाल विकास पदेन सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुये आकस्मिक स्थिति माना जावे संचालक, महिला एवं बाल विकास पदेन सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा 02 लाख तक का व्यय तथा सचिव , महिला एवं बाल विकास; पदेन अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा स्वतः संज्ञान लेते आकस्मिक स्थिति माना जावे सचिव, महिला एवं बाल विकासय पदेन अध्यक्ष , राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा 05 लाख तक का व्यय किया जा सकेगा जिस पर राज्य बाल संरक्षण समिति से कार्येत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

8.7 छत्तीसगढ़ बाल कोष के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा के भीतर स्वीकृत/जारी किये जायेंगे।

8.8 राज्य बाल संरक्षण समिति के कार्यकारणी समिति के पास छत्तीसगढ़ बाल कोष के तहत लिए गए अनुदान/वित्तीय सहायता संबंधी निर्णय तथा उसके संशोधन का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा, जो कि अंतिम निर्णय माना जाएगा।

8.9 यदि राज्य स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसा करने का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और इसकी प्रति प्रस्तावकर्ता (व्यक्ति या

संस्था) को भेजी जाएगी।

8.10 प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात, अनुदान इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा सीधे अधिकृत बालक/व्यक्ति या संस्था के बैंक खाते में जारी किया जाएगा।

8.11 इस दिशा–निर्देश में किसी भी प्रकार का संशोधन राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जा सकेगा।

9. छत्तीसगढ़ बाल कोष के तहत जारी अनुदान के उपयोग हेतु निर्धारित शर्ते–

9.1 छत्तीसगढ़ बाल कोष से प्राप्त अनुदान का व्यय या उपयोग अनुमोदित प्रस्ताव के अनुकूल होना चाहिए । अनुदान का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है । किसी अन्य गतिविधि के लिए अनुदान का उपयोग या विचलन नहीं किया जाना चाहिए जो प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था और जिसे समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

9.2 छत्तीसगढ़ बाल कोष से प्राप्त अनुदान का व्यय या उपयोग प्रस्तावित समय–सीमा के भीतर किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुमोदित प्रस्ताव में किया गया है ।

9.3 छत्तीसगढ़ बाल कोष से प्राप्त अनुदान के संबंध में मापदंड राज्य सरकार के वित्तीय नियमों से संबंधित प्रावधानों/ उपबंधो के अनुसार शासित होगा।

9.4 अनुदान प्राप्तकर्ता व्यक्ति या संस्था, राज्य बाल संरक्षण समिति को व्यय के विवरण के साथ एक उपयोगिता प्रमाणपत्र (महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट प्रारूप में) और अनुमोदित प्रस्ताव में उल्लेखित गतिविधियों/ कार्यक्रम का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

9.5 अनुदान प्राप्तकर्ता व्यक्ति या संस्था सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड संधारित किया जाना आवश्यक होगा तथा समय–समय पर मांग किये जाने पर/निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा।

10. स्वयंसेवी संस्था के चयन की प्रक्रिया– छत्तीसगढ़ बाल कोष के अंतर्गत कार्यक्रम के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

11. निगरानी, समीक्षा, जाँच और प्रतिवेदन प्रस्तुति –

11.1 राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति और संबंधित जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण एकक अनुदानों के उपयोग की निगरानी और समीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय अनुमोदन के अनुसार उचित रूप से किया जा रहा है ।

11.2 छत्तीसगढ़ बाल कोष के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था, राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति और संबंधित जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण एकक, को एक विस्तृत मासिक प्रतिवेदन एवं प्रत्येक तीन महीने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगी।

11.3 छत्तीसगढ़ बाल कोष संबंधी प्रतिवेदन राज्य बाल संरक्षण समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

12. छत्तीसगढ़ बाल कोष का वित्तीय अंकेक्षण –

12.1 छत्तीसगढ़ बाल कोष के सभी आय और व्यय का वार्षिक अंकेक्षण राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा चुने गए चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अनुसार एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जाएगी।

12.2 अंकेक्षण प्रतिवेदन राज्य बाल संरक्षण समिति को प्रस्तुत की जाएगी ।

12.3 सभी आय/प्राप्तियां और व्यय / भुगतान मुख्य रूप से कैश बुक, जर्नल, बैंक सुलह विवरण,

अन्य प्रासंगिक रजिस्टरों में जिम्मेदार अधिकारी के उचित प्रमाणीकरण के साथ दर्ज किए जाने चाहिए ।

12.4 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट के साथ बैंक समाधान विवरण के साथ दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में तैयार किया जाए।

12.5 वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को मानते हुये महिला एवं बाल विकास विभाग, के सचिव/ संचालक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

13. छत्तीसगढ़ बाल कोष के लिए जागरूकता –

छत्तीसगढ़ बाल कोष के लिए धन जुटाने या दान को बढ़ावा देने के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति जनसंचार के माध्यम से आम जनता के बीच जागरूकता अभियान/ गतिविधि/ कार्यक्रम का संचालन के लिए अलग– अलग मंचों/माध्यमों का प्रयोग करेगी। इसके लिए सोशल–मीडिया का भी प्रयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है।

14. कठिनाईयों का निवारण–

छत्तीसगढ़ बाल कल्याण कोष के कियान्वयन में यदि कोई कठिनाई/बाधा हो तो उनको दूर करने, किसी बिन्दु की व्याख्या/शिथिलन, किसी विवाद की स्थिति में सचिव छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग पदेन अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल सरंक्षण समिति का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस.ध्रुव, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.